छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, सेक्टर 19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर 492002

दूरभाष : 0771-2880911, 2880912, वेबसाइट : www.cgsec.gov.in, ई-मेल : cgec.cg@nic.in

: : संशोधित आदेश : :

क्र. एफ–35–01/तीन(एक)–1/पंचा.निर्वा./निर्वा.नामा./2024/2152 नवा रायपुर, दिनांक 13/11/2024

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 42 एवम् छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 9 से 12 तथा 14 से 15–क की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा प्रदेश की विकास खंडवार समस्त पंचायतों का त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024–2025 कराये जाने फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए पूर्व में जारी कार्यक्रम (समय–अनुसूची) क्र. 1549 दिनांक 10.09.2024, क्र. 2071 दिनांक 05.11.2024, एवं 2048 दिनांक 25.10.2024 में संशोधन करते हुए 1 अक्टूबर, 2024 के प्रतिनिर्देश से निम्नानुसार कार्यक्रम (समय–अनुसूची) निर्धारित करता है :–

निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम (समय–अनुसूची)

द्वितीय चरण		
12.	दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना	14.11.2024 गुरुवार से
13.	दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय	20.11.2024 बुधवार
14.	दावे/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख	25.11.2024 सोमवार
15.	प्ररूप क–1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	27.11.2024 बुधवार
16.	प्ररूप क–1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि	30.11.2024 शनिवार
17.	दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख	निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर
18.	परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना	04.12.2024 बुधवार तक
19.	चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को सौंपना	06.12.2024 शुक्रवार तक
20.	अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना	10.12.2024 मंगलवार तक
21.	**निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन**	**13.12.2024 शुक्रवार**

(राज्य निर्वाचन आयुक्त महो.द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे)
सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

पृ.क्र. एफ–35–01/तीन(एक)–1/पंचा.निर्वा./निर्वा.नामा./2024/2153 नवा रायपुर, दिनांक 13/11/2024

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ।
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, सेक्टर 19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर 492002

दूरभाष : 0771-2880911, 2880912, वेबसाइट : www.cgsec.gov.in, ई-मेल : cgec.cg@nic.in

क्र. एफ–35–01 / तीन(एक)–1 / पंचा.निर्वा. / निर्वा.नामा. / 2024 नवा रायपुर, दिनांक / /2024

प्रति,

कलेक्टर सह
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला–समस्त (छ.ग.)

विषयः–त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024–2025 : फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार /पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में।

संदर्भः–राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक 1549 दिनांक 10.09.2024, 2071 दिनांक 05.11.2024, 2048 दिनांक 25.10.2024 एवं पत्र क्र. 1531 दिनांक 10.09.2024।

––––00––––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली तैयार किये जाने समय अनुसूची संबंधी ओदश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 5 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 में छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रारंभिक प्रस्ताव संबंधी अधिसूचना क्रमांक / 2563 / 22–1 / 2021 / 5125 दिनांक 12 नवम्बर, 2024 तारतम्य में नियम 15–ख के अनुसार नियम 9 (ख), नियम 14(2), नियम 14(3) एवं नियम 15–ख इतने में प्रस्तावित संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 5 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 9 (ख) के अनुसार 1 अक्टूबर, 2024 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण कर चुके मतदाताओं का नाम ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जाना है। तद्नुसार आयोग के संदर्भित समय–अनुसूची कार्यक्रमों में आंशिक संशोधन किया गया है, संशोधित आदेश दिनांक 13.11.2024 आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

13/11/24

सचिव
छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, सेक्टर 19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर 492002

दूरभाष : 0771-2880911, 2880912, वेबसाइट : www.cgsec.gov.in, ई-मेल : cgec.cg@nic.in

क्र. एफ–35–01 / तीन(एक)–1 / पंचा.निर्वा. / निर्वा.नागा. / 2024 नवा रायपुर, दिनांक / / 2024

प्रति,

कलेक्टर सह
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला–समस्त (छ.ग.)

विषयः–01 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर त्रिस्तरीय पंचातयों के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण हेतु प्रक्रिया के संबंध में।

संदर्भः–(1) राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक 1549 दिनांक 10.09.2024, 2071 दिनांक 05.11.2024, 2048 दिनांक 25.10.2024 एवं पत्र क्र. 1551 दिनांक 10.09.2024।
(2)छत्तीसगढ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 712 दिनांक 13 नवम्बर, 2024

–––00–––

विषयांतर्गत छत्तीसगढ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 712 दिनांक 13 नवम्बर 2024 के माध्यम से छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में संशोधन प्रस्ताव का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है, सुलभ संदर्भ हेतु राजपत्र की छायाप्रति संलग्न है, कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली तैयार किये जाने समय अनुसूची संबंधी आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 5 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 (यथा संशोधित) के नियम 9 (ख) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो ग्राम से संबंधित विधानसभा की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए अर्हित है या जिसका नाम उसमें प्रविष्ट है, ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए हकदार होगा। उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा की अद्यतन निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जाना है। संशोधित नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ग्राम पंचायतों के निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पूर्व स्वप्रेरणा सेपात्र मतदाताओं के नाम दर्ज करने का आदेश कर सकेगा। उपरोक्त संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैः–

1. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा की निर्वाचक नामावली की अद्यतन सूची में 01 अक्टूबर 2024 की स्थिति में पात्र (18 वर्ष पूर्ण कर चुके) सभी मतदाताओं की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायतवार विभाजित कर समस्त प्राधिकृत कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जावेगी।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से प्राधिकृत कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में विहित दावा प्ररूप (क / क–1) उपलब्ध करावें, ताकि वे सभी पात्र व्यक्तियों को दावा फार्म / प्ररूप उपलब्ध करा सके।
3. प्राधिकृत कर्मचारियों को निर्देशित किया जावे कि **विशेष सघन अभियान** चलाकर सभी पात्र निर्वाचकों अर्थात् 1 अक्टूबर, 2024 की स्थिति में विधानसभा की निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचकों के नाम ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में दर्ज करने हेतु मतदाताओं से संपर्क कर उनको मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करें।

4. प्राधिकृत कर्मचारी एवं स्थानीय स्तर पर शासन के कर्मचारी यथा सचिव ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, कोटवार, पटवारी आदि का दल गठन कर बिन्दु क्रमांक 3 की कार्यवाही संपादित कराई जावे।

5. ग्राम पंचायतों में, वार्डों में औसतन 100 मतदाता दर्ज होते हैं अतः पात्र मतदाताओं को वार्डों की सीमाओं तथा उनके निवास स्थान के वार्ड की जानकारी उपलब्ध कराई जावे ताकि मतदाता नियत वार्ड के लिये ही आवेदन प्रस्तुत कर सके। चूंकि वार्डों में मतदाताओं की संख्या कम है अतः स्वप्रेरणा से कार्यवाही करते समय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवश्यक रुप से पात्र मतदाता के वार्ड का निर्धारण करें तथा ऐसी कार्यवाही में संबंधित मतदाता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर अवश्य प्रदान किया जावे।

6. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दावा/आपत्ति प्राप्त करने हेतु जनप्रतिनिधियों/राजनैतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा रखते हुए चयनित स्थलों तथा निर्धारित समयावधि के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जावे ताकि पात्र व्यक्तियों को दावा आवेदन प्रस्तुत करने में कोई असुविधा न हो।

7. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रयास करना चाहिए कि सभी पात्र निर्वाचकों से विहित प्ररूप में आवेदन पत्र प्राप्त कर लिया जाए। यदि 01 अक्टूबर 2024 की स्थिति में पात्र निर्वाचकों द्वारा पूर्व में विहित प्ररूप में दावा आवेदन प्रस्तुत कियागया है, और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपात्र मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया था, तो ऐसे निर्वाचकों से पुनः आवेदन प्राप्त किये बगैर ही गहन जांच उपरांत पात्रता के संबंध में विनिश्चय कर निराकरण किया जावे। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सभी दावा आवेदन पत्रों का निराकरण छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 10, 11 एवं 12 के अपेक्षानुसार किया जावे।

8. यद्यपि निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण सावधानीपूर्वक किया जावेगा तथा किसी पात्र निर्वाचक का नाम छूटने की संभावना नहीं है तथापि यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आये कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम संबंधित वार्ड की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं हो पाया है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वप्रेरणा से ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर सकता है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 15–क में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किया जाना प्रावधानित है। नियम 15–क अंतर्गत स्वप्रेरणा से निर्वाचक नामावली में पात्र व्यक्तियों का नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन किया जावे :–

(i) किन्हीं कारणों से पात्र मतदाताओं के नामों को निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं कियाजा सका है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ऐसे मतदाताओं को स्वप्रेरणा से गहन जांच उपरांत ग्राम पंचायत के वार्डों की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किया जा सकेगा।

(ii) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा गहन जांच एवं व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने उपरांत पूर्णतः संतुष्ट होने पर स्वप्रेरणा से निर्वाचक नामावली में परिवर्धन की कार्यवाही की जा सकेगी।

(iii) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से किसी प्रविष्टि का परिवर्धन करने के संबंध में लिये गये निर्णय के कारणों को अभिलिखित किया जावे और किसी व्यक्ति द्वारा मांग करने पर, ऐसे निर्णय की एक प्रति तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी।

(iv) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने विनिश्चय में यह भी उल्लेख किया जावेगा कि व्यथित व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के विरूद्ध छत्तीसगढ पंचायतनिर्वाचन नियम, 1995 के नियम 12(5) के अनुसार निर्धारित अवधि में अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा।

(v) अपील प्राधिकारी द्वारासंबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने और समुचित जांच करने के पश्चात् अपील पर उपयुक्त आदेश पारित किया जावे तथा इस संबंध में अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

9. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे (क/क–1) के निपटारे के पश्चात् नियमानुसार अनुपूरक सूची तैयार कराई जावेगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि कर तैयार अनुपूरक सूची के पी.डी.एफ. की सूक्ष्मता से जांच की जावेगी।

10. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पी.डी.एफ. की जांच उपरांत यदि संशोधन हो तो संशोधन कर त्रुटिरहित पी.डी.एफ. को अंतिम मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेगा।

11. जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु सहयोग कर रहे अन्य अधिकारी/कर्मचारी / व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निर्वाचक नामावली आदि तैयार करने के संबंध में पदीय कर्तव्यों का उल्लंघन किये जाने पर छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 9(4) में एवं मिथ्या घोषणाएं किये जाने पर छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 9 (क) में कारावास तथा जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है।

12. जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस निर्देश में वर्णित समस्त संशोधनों / नियमों का गहनता से अध्ययन करने के उपरांत पूर्ण सावधानी से पुनरीक्षण की कार्यवाही संपादित की जावे, ताकि शुद्ध एवं त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली तैयार की जा सके।

13. छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक/2563/22–1/2021/5125 दिनांक 12 नवम्बर, 2024 के अंतिम प्रकाशन में यदि कोई संशोधन होगा तो इस निर्देश पत्र में तदनुसार संशोधन किया जावेगा।

(राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 712] रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 नवम्बर 2024 — कार्तिक 22, शक 1946

पंचायत एवं ग्रामीण बिकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 नवम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक/2563/22–1/2021/5125.— छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में संशोधन का निम्नलिखित प्ररूप, जिसे राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 95 की उप–धारा (1) सहपठित धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप–धारा (3) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारुप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सात दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कक्ष क्रमांक AD0-C8, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय के दौरान प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में –

1. नियम 9 (ख) के उप–नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात :–

"**स्पष्टीकरण** – यदि किन्हीं कारणों से प्रचलित निर्वाचक नामावली प्राप्त नही होती, तो वार्ड वार मतदाताओं को विभाजित करते हुए तथा पूर्ववर्ती प्रकाशित उपलब्ध निर्वाचक नामावली के आधार पर, उप–नियम (1) एवं (2) की कार्यवाही की जा सकेगी।"

2. नियम 14 के उप–नियम (2) में, शब्द "जनवरी के प्रथम दिवस" के स्थान पर शब्द "नियम 9 (ख) के प्रावधानों के अधीन आयोग द्वारा विनिश्चित तिथि" प्रतिस्थापित किया जाए।

3. नियम 14 के उप–नियम (3) में शब्द "जनवरी के प्रथम दिन को" के स्थान पर शब्द "अद्यतन निर्वाचन नामावली" प्रतिस्थापित किया जाए।

4. नियम 15–क के पश्चात्, निम्नानुसार नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"15–ख"– कतिपय मामलों में निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का परिवर्धन – (1) यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, उसे प्रस्तुत किए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे, यह समाधान हो जाए, कि ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पूर्व उससे संबंधित व्यक्ति के नाम को इस आधार पर जोड़ा जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति की निर्वाचक नामावली में

प्रविष्टि, भारत निर्वाचन आयोग के पूर्ववर्ती उपलब्ध निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, परन्तु किन्ही कारणों से छूट गया है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस संबंध में आयोग द्वारा दिए गए सामान्य या विशेष निर्देशों, यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी प्रविष्टि को परिवर्धित कर सकेगा :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संबंधित व्यक्ति को, उसके संबंध में प्रस्तावित कार्य के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(2.) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उप–नियम (01) के अधीन किसी प्रविष्टि का परिवर्धन करने के अपने विनिश्चय के कारणों को अभिलिखित करेगा, और संबंधित व्यक्ति द्वारा मांग करने पर ऐसे विनिश्चय की एक प्रति तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराएगा।

(3.) उप–नियम (01)के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय के विरूद्ध उक्त नियम के नियम (12) के उप–नियम (05) के अनुसार अपील कर सकेगा।

(4.) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जाँच, जैसी की वह उचित समझे, करने के पश्चात् अपील पर उपयुक्त आदेश पारित करेगा और अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

5. नियम 19 के उप–नियम (3) का लोप किया जाए।

6. नियम 20 में, शब्द ''जिला पंचायत से भिन्न'' का लोप किया जाए।

7. ''प्ररूप 4–क'' के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–